बिल का सारांश

रेलवे (संशोधन) बिल, 2024

- रेलवे (संशोधन) बिल, 2024 को लोकसभा में 9 अगस्त, 2024 को पेश किया गया। बिल रेलवे बोर्ड एक्ट, 1905 को निरस्त करने का प्रयास करता है। 1905 के एक्ट के तहत भारतीय रेलवे के प्रबंधन के लिए रेलवे बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। यह बिल रेलवे बोर्ड से संबंधित प्रावधानों को रेलवे एक्ट, 1989 में शामिल करने का प्रयास करता है। 1989 के एक्ट में रेलवे के लिए कानूनी संरचना प्रदान की गई है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि इससे दो कानूनों का संदर्भ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- **रेलवे बोर्ड का गठन**: 1905 के एक्ट में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक या सभी रेलवे से संबंधित सरकार की शक्तियों और कामकाज को रेलवे बोर्ड में निहित कर सकती है। यह एक अधिसूचना के माध्यम से किया जा सकता है। बिल इन प्रावधानों को 1989 के एक्ट में शामिल करता है। बिल में यह भी जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्धारित करेगी: (i) बोर्ड के सदस्यों की संख्या, और (ii) अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की क्वालिफिकेशन, अनुभव और सेवा की शर्तें तथा नियुक्ति का तरीका। इसमें यह भी कहा गया है कि बोर्ड को आवश्यकतानुसार एक सचिव और अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

स्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अनिरुद्ध टी.आर.
anirudh@prsindia.org

12 अगस्त, 2024